कार्यालय, चास नगर निगम
चास, बोकारो

3rd Call

::– अति अल्पकालीन इच्छा की अभिव्यक्ति ::–

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नगर विकास व विकास विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जुडको लि0, रांची के माध्यम से चेक पोस्ट के पास गरगा नदी के किनारे विद्युत शवदाह गृह (गैस चलित) का निर्माण कराया गया है, जो चास नगर निगम को हस्तांतरित किया गया है।

विद्युत शवदाह गृह का संचालन व संपोषण हेतु इच्छुक एन0जी0ओ0, ट्रस्ट, समिति, एस0एच0जी0 अथवा संस्था से प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है। उक्त प्रस्ताव चास नगर निगम कार्यालय में दिनांक 16.03.2025 को अपराह्न 2:00 बजे तक जमा कर सकते हैं, जिसका निष्पादन उसी दिन दिनांक 16.03.2025 को अपराह्न 03:00 बजे किया जायेगा। प्रस्ताव के साथ आवेदन पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, संस्था–एन0जी0ओ0, ट्रस्ट, समिति, निबंधन, GST रजिस्ट्रेशन संबंधित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही आवदेन के साथ 5000 रूपये का बैंक ड्राफ्ट, जो अपर नगर आयुक्त, चास नगर निगम के नाम से देय व भुगतेय चास पर होगा, जमा करना होगा। उक्त राशि वापस नहीं की जायेगी।

आवंटित संस्था को शवदाह गृह के संचालन के साथ–साथ इसके रख–रखाव, साफ–सफाई, सुरक्षा एवं शवदाह गृह से सबंधित सभी प्रकार व्यय स्वयं वहन करना होगा।

शेष नियम एवं शर्तें सूचना पट्ट अथवा www.bokaro.nic.in व www.chasmunicipalcorporation.com पर देखा जा सकता है।

07/3/25

प्रशासक
–सह–
अपर नगर आयुक्त
चास नगर निगम।

07/03/2025

ज्ञापांक 669 दिनांक 07/03/25

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, बोकारो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, बोकारो को जिला वेबसाइट में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

7/3/25

प्रशासक
–सह–
अपर नगर आयुक्त
चास नगर निगम

07/03/2025

नियम एवं शर्तें :–

1. इच्छा की अभिव्यक्तिसूचना के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा:–
   (क) पेन नंबर (ख) आधार नं0 (ग) GST रजिस्ट्रेशन घ) किसी संस्था/कार्यालय में काली सूची मे न हो उसका स्वघोषणा पत्र ङ) संस्था–एन0जी0ओ0, ट्रस्ट, समिति निबंधन, कार्यानुभव से संबंधित दस्तावेज, अन्य।
2. इच्छा की अभिव्यक्ति के साथ 5000 रूपये का बैंक ड्राफ्ट, जो अपर नगर आयुक्त, चास नगर निगम के नाम से देय व भुगतेय चास पर होगा, जमा करना होगा।उक्त राशि वापस नहीं की जायेगी।
3. चयनित एजेंसी को विद्युत शवदाह गृह (गैस चलित) का संचालन व संपोषण के विरूद्ध नगर निगम में वार्षिक शुल्क के रूप में 12,000.00 (बारह हजार) रूपये जमा करना होगा। प्रथम वर्ष निःशुल्क रहेगा।
2. सुरक्षित राशि 1,50,000.00 (एक लाख पचास हजार) रूपये बैंक गारंटी/ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा, जो अपर नगर आयुक्त, चास नगर निगम के नाम से देय व भुगतेय चास पर होगा। उक्त राशि नियम व शर्ते के पूर्ण होने के उपरांत वापस किया जायेगा।
3. एजेंसी/फर्म/व्यक्ति को काली सूची मे दर्ज नही है का स्व–घोषणापत्र संलग्न करना होगा।
4. एजेंसी/फर्म/व्यक्ति/संस्था को शवदाह गृह का संचालन मानकों के अनुरूप करना होगा एवं अधिष्ठापित की गयी सामाग्री/उपकरण रख रखाव उत्कृष्ट तरीके से करना अनिवार्य होगा।
5. शवदाह गृह का संचालन हेतु आम नागरिकों से सुविधा शुल्क निगम द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
6. चयनित एजेसी को 24x7 सेवा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
7. चयनित एजेंसी को बिजली बिल एवं अन्य विपत्र स्वयं भुगतान करना होगा।
8. चयनित एजेंसी को शवदाह गृह का संचालन करने हेतु निगम के साथ एकरारनामा करना होगा।
9. इच्छा की अभिव्यक्ति में सफल व्यक्ति/फर्म/एजेंसी का तीन वर्ष के लिए संचालन व संपोषण आवंटित किया जायेगा, परंतु कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर समय से पूर्व कार्य आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।
10. चयनित एजेंसी को प्रतिमाह किये गये कार्यो का प्रतिवेदन जमा करना अनिवार्य होगा।
11. चयनित एजेंसी को लवारिश लाश का निःशुल्क निष्पादन करना अनिवार्य होगा।
12. इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रण सूचना को बगैर कोई कारण दर्शाए रद्द करने अथवा कोई अन्य परिवर्तन का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

7/3/25

प्रशासक
–सह–
अपर नगर आयुक्त
चास नगर निगम

07/03/2025

Scanned with OKEN Scanner